

DEPARTMENT OF POSTS, INDIA
OFFICE OF THE SR. SUPDT. OF POST OFFICES A'GRA DIVISION, AGRA-282001

To,
The PIO (Satarkata Anubhag)
Power Grid Corporation Of India
Saudaminee Plat No -2 Sector 29
Gurgaon 122001 Haryana

No. LC/RTI Act/470/2019

Dated at Agra the 28-11-2019

Sub: Regarding application under RTI ACT 2005 in the case of Sh Kundan Singh, 38 RS Residency, Dayalbag Agra-5

X-X-X-X-X-X

On the subject cited above, kindly find enclosed herewith application dated 27-11-2019 alongwith IPO 45F 889724 from Sh Kundan Singh, 38 RS Residency, Dayalbag Agra-5. Application is being fwd for your necessary action please.


Kindly arrange to provide the information/reply direct to the applicant within the stipulated time period and for further queries kindly communicate with the applicant directly.

DA- As above


CAPIO
O/o Sr. Supdt. of Post Offices
Agra Division, Agra-282002

Copy to:-

1. Sh Kundan Singh, 38 RS Residency, Dayalbag Agra-5
2. Office copy


CAPIO
O/o Sr. Supdt. of Post Offices
Agra Division, Agra-282002

vig.
शुभम उपाध्याय
5/4/2019
3/11/19



27/11

आवेदन सूचना प्राप्ति कानून के अंतर्गत

सन्दर्भ संख्या आर. सी. आई/2019/250

दिनांक 27-11-2019

पत्राचार में कृपया उपरोक्त सन्दर्भ नंबर अवश्य लिखें अन्यथा आपका उत्तर अपने आवेदन के साथ नहीं जोड़ पायेंगे

द्वारा- प्रवर अधीक्षक डाकघर आगरा मण्डल आगरा

जन सूचना अधिकारी, (सतर्कता अनुभाग)

पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया

"सौदीमनी" प्लॉट सं. 2 सैक्टर-29 गुडगाँव-122001 (हरियाणा)

सूचना प्राप्ति कानून के अंतर्गत रु. 10/- का पोस्टल आर्डर संख्या 45F889724 संलग्न करते हुए आपसे निम्न सूचना प्रदान करने का आग्रह करते हैं

- राजभाषा निरीक्षण के नाम पर राष्ट्रीय कोष का भ्रूण के सम्बंध में आवेदक द्वारा की गई शिकायत दिनांक 4.6.18, जो आपके कार्यालय में दिनांक 26.6.18 को प्राप्त हुई थी के सम्बंध में आपके कार्यालय के पत्रांक 643 दिनांक 5.7.18 के क्रम में आवेदक द्वारा दिनांक 11.7.2018 को पुराने पत्र को राजेन्द्र गुर्जर प्रबन्धक (सतर्कता) को पंजीकृत डाक द्वारा भेज दिया गया था।
- मेरे उपरोक्त शिकायती पत्र पर अब तक विभाग द्वारा की गई कृत कार्यवाई से सम्बंधित पत्रावली की टिप्पणीयाँ इत्यादिकी प्रमाणित फोटो प्रति उपलब्ध कराये।
- प्रथम अपीलकर्ता अधिकारी का नाम, पता, पद एवं दूरभाष संख्या की भी जानकारी उपलब्ध कराये।



RIGHT TO
INFORMATION

- धारा 20(1) एवं 20(2) के अंतर्गत अर्थ दंड एवं हर्जाने का प्रावधान है
- धारा 6(1) के अंतर्गत सूचना उसी प्रारूप में दी जानी चाहिए जिस प्रारूप में मांगी गई है
- धारा 6(3)(अ) के अनुसार अतिरिक्त शुल्क हेतु विवरण संगणक सहित देना होगा
- धारा 4(जे) के अंतर्गत जो भी सूचना भारतीय संसद या राज्यों की विधान सभाओं को मना नहीं की जा सकती आवेदनकर्ता को भी मना नहीं की जायेगी

आवेदनकर्ता

कुन्दन सिंह
27/11/2019

नाम कुन्दन सिंह

पूरा पता 38, आर. एस. रेजीडेंसी दयाल बाग आगरा-5

फोन/मो. नम्बर 9456024616

ई.मेल पता

